(b) whether it is also a fact that this loss has already been brought to notice by a CAG report; and

(c) if so, what action has been taken by Government against this malpractice in DDA and the erring contractor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U VENKATESWARLU): (a) Yes, Sir.

(b) In paras 56 and 57 of report No. 3 of 1996, the CAG has pointed out the following:

(i) Overpayment of Rs. 24.92 lakhs to contractor towards security advance and cost of materials in respect of construction of 280 Dwelling units of Cat. II and III alongwith 168 scooter garrages in pkt. F & G Sarita Vihar, Group-I & II.

(ii) Wasteful expenditure of Rs. 22.11 lakhs in respect of augumentation of water supply of pkt. 5 & 6, Sector-B of Vasant Kunj.

(c) The -DDA has taken action-' imposed penalties on the defaulting Officers as follows:—

(1) Reduction by three stages in the present pay scale for two years in respect of an Executive Engineer.

(2) Reduction to the lowest grade for a period of 5 years which will not effect future increment in respect of an Assistant Engineer.

(3) Reduction to the lowest grade for a period of 3 years in respect of two JE's.

(4) Reduction to the lowest grade for a period of two years in respect of an Assistant Engineer.

The erring contractor who executed the work has since been debarred from further tendering in DDA. A FIR was lodged with the police. The contractor approached Hon'ble High court which has appointed an Arbitrator. The Arbitrator is yet to publish his award. DDA has approached the Hon'ble High Court to intervene in the matter for issue of suitable directions. The matter is subjudice.

मध्य प्रदेश में आई०डी०एस०एम०टी० योजना

707. श्री राघवजी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की किन-किन नगरपालिकाओं के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन नगरपालिकाओं को ऋण और सहायता की कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(ग) 31 अक्तूबर, 1996 को उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भेजे गए कौन-कौन से प्रस्ताव लंबित थे तथा इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के तहत 26 नगरपालिकाओं में अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 533 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत और रिलीज की गई, जिसके वर्षवार तथा नगरवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ग) मध्य प्रदेश राज्य की 1995—97 के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० की संशोधित योजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिए सात कस्बे आवंटित किए गए और 1995-96 के लिए केन्द्रीय अनुदान के रूप में 1.75 करोड़ रुपए का नियतन किया गया। फरवरी, 1996 तक राज्य सरकार ने विवरण-II (नीचे देखिए) में दी गई सूची के अनुसार 13 कस्बों की परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिनमें से प्रथम सात कस्बों को राज्य-स्तरीय अनुमोदन समिति की सिफारिशों के आधार पर 1995-96 के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया गया था और राज्य सरकार को 1.71 करोड़ रुपए की केन्द्रीय अनुदान रिलीज किया गया

था। एक अन्य कस्बा सिहोरा को, जिसके परियोजना प्रस्ताव का समिति द्वारा सिद्धान्ततः अनुमोदन किया गया था, अतिरिक्त/फालतू निधियां उपलब्ध न होने के कारण 1995-1996 के दौरान इस स्कीम में शामिल नहीं किया जा सका। शेष पांच कस्बों की परियोजना रिपोर्टों पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए कस्बों की संशोधित प्राथमिकता सूची की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण-I

पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न नगरपालिकाओं को आई०डी०एस०एम०टी० योजना के तहत स्वीकृत तथा रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता

क्र० सं०	वर्ष तथा कस्बे का नाम	रुपये लाख में
	1994-95	
	क : नई परियोजनाएं बनाना	
1.	पंधुरना	23.00
2.	सौसार	11.00
3.	खांडवा	30.00
4.	आओरा	33.00
5.	दलीरा झारा	28.50
6.	बन्नौर	18.00
7.	चित्रकूट	8.00
8.	पीथमपुर	14.00
9.	कारखरघा	10.00
10.	नरसिंहपुर	12.00
11.	अजयगढ़	8.00
12.	गरोथ	8.00
	योग : क :	203.50
	ख : चालू परियोजनाएं	
13.	जगदलपुर	15.00
14.	सिहोर	15.00
15.	खारगोन	20.00
	योग : ख:	50.00
	योग : क+ख:	253.50
	1995-96	
	क: नई परियोजनाएं	
16.	राजगढ़	16.00
17.	बिओरा	30.00
18.	बेरासिया	16.00
19.	नरसिंहगढ़	27.00
20.	अशोक नगर	25.00
21.	कंकेर	27.00
22.	गंज-बसोदा	30.00
	योग:	171.00
	ख: चालू परियोजनाएं	
23.	रतलाम	30.00
24.	बेतल	20.00
25.	नीमच	18.50
26.	टीकमगढ़	40.00
	योग: ख:	108.50
	योग: क+ख:	279.50
	कुल योग:	533.00

विवरण-II

कस्बों के नाम जिनके लिए परियोजना रिपोर्ट आई०डी०एस०एम०टी० की संशोधित योजना के तहत विचार के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई है।

क्र० सं०	कस्बे का नाम
1.	राजगढ़
2.	बिओरा
3.	बेरासिया
4.	नरसिंहगढ़
5.	अशोक नगर
6.	कंकेर
7.	गंज-बसोदा
8.	सिहोरा
9.	केसरगढ़
10.	बरवानी
11.	झाबुआ
12.	जोजगीर
13.	अटवा